

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 1997 (त्रावण 13, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पुण्यवस्तु: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अशोक राव, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक अधिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1980 (क्रमांक 13 सन् 1980) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-(1)-97 तैतालीस-1, दिनांक 20 जून, 1997 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री दिलीप भट्टेरे, गौरीशंकर बिसेन, डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक ग्रामों में अतिवर्षा से जन-जीवन अस्त व्यस्त होने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र पाठक, बनवारीलाल अग्रवाल, रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार न दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, मुरैना जिले के -
- (क) ग्राम पदावली में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,
 - (ख) ग्राम गुलेन्दरा में औषधालय खोले जाने,
 - (ग) ग्राम जयनगर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (घ) ग्राम पारीली में अस्पताल खोले जाने,
 - (ङ.) ग्राम धनेला में चिकित्सालय खोले जाने, तथा
 - (च) ग्राम अरदौनी में औषधालय खोले जाने,
- (2) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के -
- (क) ग्राम बांसखेड़ा में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (ख) ग्राम कोड़ा-जमुनिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (ग) ग्राम जबलपुर में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (घ) उदयपुरा-बीरास मार्ग पूर्ण कराये जाने,
 - (ङ.) ग्राम अनघोरा के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिलाये जाने,
 - (च) ग्राम केवट पिपलिया से चुन्हेटिया तक सड़क बनाये जाने, तथा
 - (छ) ग्राम विकल्पपुर स्थित हाई स्कूल में रिक्त पदों को भरे जाने,
- (3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के -
- (क) ग्राम पोड़ी कल्हा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
 - (ख) ग्राम पोड़ी कल्हा के दाहिद मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (ग) ग्राम दौरला के लाईनपारा में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (घ) ग्राम शनीचराडीह में विद्युतीकरण कराये जाने,
 - (ङ.) अकलतरा-चंगीरी सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
 - (च) ग्राम हेइसपुर के बुदना मुहल्ले में विद्युतीकरण कराये जाने,
- (4) श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के -
- (क) तहसील मुख्यालय नटेरन में व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 प्रारंभ कराये जाने,
 - (ख) तहसील मुख्यालय नटेरन स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कृषि संकाय का अध्ययन प्रारंभ कराये जाने,
 - (ग) तहसील मुख्यालय नटेरन स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ कराये जाने,
- (5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -
- (क) ग्राम महुली के आदिवासी परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने,
 - (ख) रेशम केन्द्र सरई के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कराये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम राजा कसुआ के निवासियों को वन भूमि का पट्टा दिलाये जाने,

- (6) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के कटनी नगर स्थित शासकीय चिकित्सालय के प्रायवेट वार्ड को लोक निर्माण विभाग के अधीन लिये जाने,
- (7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्वसौर जिले के अफजलपुर-मन्वसौर रोड पर पुलियों का निर्माण कराये जाने,
- (8) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मांजन के अन्तर्गत मांजन रामकृपाल में नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने,
- (9) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम घाटली के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हाईस्कूल को ग्राम सोनासावरी में स्थानांतरित किये जाने, के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

6. शासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विधेयक, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय
3 घण्टे
(शेष 1 घण्टा 20 मि.)

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा निजी क्षेत्रों में सौपी गई विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 पर चर्चा.....(क्रमशः).

भोपाल :
दिनांक 2 अगस्त, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा